

—प्रेषक,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सेक्टर-एम0, आशियाना,
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलसचिव
क्षेत्रान्तर्गत राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय
जनपद-लखनऊ/अयोध्या।

पत्रांक:-क्षे0का0ल0/ 2623-24 /2023-24

दिनांक: 12/09/2023

विषय:: प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 30.08.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 पत्र संख्या-2561/सत्तर-3-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या-1105/6-पु-15/2023, दिनांक 05.09.2023 के द्वारा बिन्दु संख्या 1.16 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों के क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा मुख्य मार्ग की तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरों के अधिष्ठापन करने एवं उसकी सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है:-

जनपद का नाम			विभाग का नाम				
क्र0	शैक्षणिक संस्था का नाम	सरकारी/प्राइवेट	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या				
			क्लासरूम	कॉरिडोर	प्रवेश द्वार	निकास द्वार	योग
1.							

अतः आपसे अपेक्षित है कि उपर्युक्त प्रारूप पर सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


डॉ0(सुधीर कुमार)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ

प्रेषक,
प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।
4. अपर सचिव,
उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषय: प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 30.08. 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या-1105/6-पु-15/2023, दिनांक 05.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु संख्या-1.16 में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों (समस्त सरकारी एवं प्राइवेट कालेजों/विश्वविद्यालयों) के क्लासरूम, कॉरिडोर, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा मुख्य मार्ग की तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरों के अधिष्ठापन करने एवं उसकी सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है:-

जनपद का नाम			विभाग का नाम				
क्र०	शैक्षणिक संस्था का नाम	सरकारी/प्राइवेट	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या				
			क्लासरूम	कॉरिडोर	प्रवेश द्वारा	निकास द्वार	योग
1.							

3- अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-2437/सत्तर-3-2023, दिनांक 28.09.2023 एवं पत्र संख्या-2474/सत्तर-3-2023, दिनांक 30.09.2023 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने तथा उसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

4- इस सम्बन्ध में सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 के पत्र संख्या-1105/6-पु-15/2023, दिनांक 05.09.2023 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी अनुपालन आख्या निदेशालय के माध्यम से शासन को दिनांक 12.09.2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,
(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।